न्यायलय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 90 / 17

आर.सी.एम.एस. नम्बर :– 2017 / 00189

उनवानी :–

1– चाव खॉ
2– रसीद
3– मजीद
4– शरफू

} पि स0 सुपेदा जाति मेव निवासी उदाका तहसील कामॉ जिला भरतपुर

5– रहमती पत्नी सुपेदा

वादीगण अपीलान्टान ——————————

बनाम

1– शेरू पुत्र कलोरा जाति मेव निवासी उदाका तहसील कामॉ जिला भरतपुर।

2– अफसरदीन पुत्र करीमखॉ जाति मेव निवासी ग्राम उदाका तहसील कामॉ जिला भरतपुर।

3– अख्तर
4– सहरूल्ली
5–मुफीद

} पिसरान कमलखॉ जाति मेव निवासी उदाका तहसील कामॉ जिला भरतपुर।

असल प्रति वादीगण रेस्पोडेन्टान——————————

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामॉ जिला भरतपुर।

7–शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैक शाखा भरतपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टान——————————

प्रथम अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी कामॉ दिनॉक 16.05.2017 व मुकदमा सुफेदा बनाम शेरू नं010 / 14 अन्तर्गत धारा 223 आर. टी. एक्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—
1— वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार
2— वकील रैस्पो0 श्री हनुमान प्रसाद गोयल

निर्णय दिनांक 11.04.2019

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 794/0.33, 795 मिन/0.42 एवम् 1120/0.52 ग्राम उदाका तहसील कामॉ जिला भरतपुर मे स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे जाहीर किया कि विवादित खसरा नम्बरो पर सम्वत् 2012 से पहले लगातार अपीलाण्ट के पूर्वज चांद खॉ का कब्जा था और वर्तमान मे अपीलाण्टगण का कब्जा है। राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी के आधे हिस्से पर रैस्पोडेन्टान के पूर्वज कलोरा का नाम दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकॉर्ड अवलोकन किए वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा निरस्त करते हुऐ। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाये व अपीलाण्टगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये व रैस्पो0 गण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाये।

बचाव मे वकील प्रत्यर्थी ने अपने बहस मे कथन किया कि रैस्पो0 गण के पूर्वज कलोरा का नाम विवादित आराजी पर वर्तमान मे दर्ज है। मौके का कब्जा रैस्पो0 का ही है। वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई सरोकार नही है। अपीलाण्टगण ने गलत तथ्यो के साथ यह दावा पेश किया है। जिसे खारिज करके अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाये।

बहस उभय पक्ष के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील का मूल बिन्दू यह है कि क्या सहमालिकों मे से एक का खुदकाश्त कब्जा उसका स्वंय का कब्जा माना जायेगा अथवा सभी सहमालिकों का खुदकाश्त कब्जा माना जावेगा। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2012 मे अपीलार्थी के पिता का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज है। इसे सम्वत् 2016 में उभयपक्ष के नाम आधे – आधे दज कर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी प्रदर्श - 2 म कृषक के विवरण मे खुदकाश्त चांदसिह दर्ज है। जबकि प्रदर्श-3 जो अन्य खसरों से सम्बन्धित है, मैं खुदकाश्त मकबूजा मालकान दर्ज है। इन दोनो को सम्मिलित रूप से अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रदर्श -2 मे दर्ज रकबे पर वादी अपीलार्थीगण

का एक मेव कब्जा था। आगामी जमाबन्दी मे किस प्रकार संयुक्त कब्जा दर्ज हुआ रिकॉर्ड से स्पष्ट नही होता है। बहस में यह तथ्य भी आया है कि पूर्व मे जो जायदाद उभय पक्ष के सामूहिक काश्तकारी मे थी, उसे उभयपक्ष मुताबिक हिस्सा बांटकर काश्त करते थे। चूंकि 2012 जो कि राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रभाव मे आने का वर्ष है मे विवादित आराजी चांदसिंह के नाम खुदकाश्त दर्ज थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत् रखे जाने योग्य प्रकट नही होता है।

अतः आदेश है की विवादित आराजी खसरा नम्बर 794/0.33, 795 मिन/0.42 एवम् 1120/0.52 में प्रत्यर्थागण का नाम विलोपित करते हुऐ अपीलार्थीगण को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2019 को मेरे द्वारा लिखा या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official